राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए—ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर—302015

(दूरभाष नं0:—0141—2740837,, **फैक्स** 0141—2742309, **ई—मेल**:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः— एफ.4(ई)/(101/2023)/अलेसे—III/892 **दिनांकः—** 23/02/26

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार (**परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी**) को उनके आवेदन के आधार पर कॉलम 04 में अंकित पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

क्र. सं.	रोल नं.	नाम	पाठ्यक्रम/परीक्षा का नाम	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	735855	श्री विवेक यादव	एम.ए. प्रथम वर्ष (सेमेस्टर प्रथम व द्वितीय) **विषयः—** संस्कृत (स्वयंपाठी) सत्र—2025—26	राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी किशनगढ़—बास (खैरथल—तिजारा)

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2006 मे वर्णित निम्न शर्तो के अध्यधीन होगी :—

1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान हो तो उक्त स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

2 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।

3 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

4 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

5 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और उस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।

6 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।

7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

यह निदेशक महोदया से अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक—II/III)

क्रमांकः— एफ.4(ई)/(101/2023)/अलेसे—III/892 **दिनांकः—** 23/02/26

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—</u>

1. कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी किशनगढ़—बास (खैरथल—तिजारा)।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री विवेक यादव, कनिष्ठ लेखाकार **(परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी)** रोल नं.—735855 कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी किशनगढ़—बास (खैरथल—तिजारा)।

Signature valid
Digitally signed by Seema Kaushal
Designation: Joint Director
Date: 2026.02.19 16:04:34 IST
Reason: Approved

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक—II/III)

RajKaj Ref No.
20501769
eSign 1.0